आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 902 तथा 903 /इंदौर/2025
निर्धारण वर्ष : 2023-24 तथा 2024-25

महेश्वरी समाज संयोगिता गंज समिति, इंदौर (म.प्र)	बनाम	आयकर अधिकारी, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएसीटीएम 8047 के PAN- AACTM8047K		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित आवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	17.02.2026
उद्घोषणा तिथि	17.02.2026

आदेश

श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान अतिरिक्त /संयुक्तआयकर आयुक्त (अपील)-2, पुणे के आदेशों दोनों दिनांक 20.08.2025 के विरूद्ध निदेशित हैं ।

2. इम अपीलों के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 07.02.2026 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि इन अपीलों में अंतर्ग्रस्त मुद्दों को सीपीसी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुबंधों के अधीन परिशोधन आदेश (rectification order) पारित करके सुधारा गया है । चूंकि निर्धारिती की शिकायतों का उचित रूप से निराकरण हो गया है, अतः ये अपीलें निष्फल (infructuous) हो गई है । अतः

निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है और अपीलें वापिस लेना चाहता है । अतः निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपीलों वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 17.02.2026 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(परेश एम.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 17.02.2026

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल